न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2018 (GCMS 2018/00166)	23.01.2018	11.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

प्रहलादराय मुरोठिया पुत्र शिवनारायण (विकेता/मालिक) मैसर्स राज किराणा स्टोर, माताजी की पाण्डोली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार, माताजी की पाण्डोली, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण की आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावात दिनांक 03.08.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा थे, और इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था, और जिला चितौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2017 को समय 10.50 एएम पर मैसर्स मैसर्स राज किराणा स्टोर, माताजी की पाण्डोली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। वहां पर प्रहलादराय मुरोठिया पुत्र शिवनारायण (विकेत्ता/मालिक) उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ शक्कर बुरा (**Loose**) व अन्य किराणा सामान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं रतन पुरी की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना परिचय पत्र विक्रेता प्रहलादराय मुरोठिया को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एक रेक में लगभग 10 किलो शक्कर बुरा (**Loose**) विकय हेतु रखा पाया। व्यापारी ने बताया कि उक्त शक्कर बुरा (**Loose**) आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु रखा गया है एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ शक्कर बुरा (**Loose**) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शक्कर बुरा (**Loose**) जो कि लगभग 10 किलो थी मे से 1 किलोग्राम शक्कर बुरा (**Loose**) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 45/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही मैसर्स राज किराणा स्टोर द्वारा प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा रजिस्ट्रेशन की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा शक्कर बुरा (**Loose**) को चार बराबर भागों में बाट कर चार प्लास्टिक जारो मे अलग–अलग भरकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-851** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना मागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैव मे जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान का पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राग मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य दिशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 5 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/3844 दिनांक 12.09.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त शक्कर बुरा (**Loose**) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। फर्म राज किराणा स्टोर को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जो कि मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 3844 दिनांक 12.09.2017 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/5525 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस ने न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सब्सटेण्डर्ड शक्कर बुरा (**Loose**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना कि गई कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने सब्सटेण्डर्ड शक्कर बुरा (**Loose**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर हुआ एवं जवाब परिवाद पेश कर निवेदन किया कि मैसर्स राज किराणा स्टोर पाण्डोली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शक्कर बुरा का सेम्पल भरा गया है जो गुणवत्ता में सही नहीं पाया गया है। यह शक्कर बुरा हम बाजार से ही खरीद कर बेचते है व निर्माता नहीं है इसलिऐ इसके गुणवत्ता की हमे कोई जानकारी नहीं है। मै और मेरा दोनों पुत्र एक ही दुकान पर बैठते है तथा इसी से हमारे पूरे परिवार का संचालन होता है, अतः हमे आपसे अनुरोध है कि हमें सभी प्रकार से माफ करने की कृपा करावें। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है।

दिनांक 11.02.2021 को विपक्षी स्वयं हाजिर आये एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। पत्रावली पेश हुई। हमने हाजिर विपक्षी का सुना। विपक्षी ने अपने कथन में जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शक्कर बुरा का सेम्पल भरा गया है जो गुणवत्ता में सही नहीं पाया गया है। यह शक्कर बुरा हम बाजार से ही खरीद कर बेचते है व निर्माता नहीं है इसलिऐ इसके गुणवत्ता की हमे कोई जानकारी नहीं है एवं माफ करने की कृपा करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ अपना कथन समाप्त किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 03.08.2017 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 396/Act/2017/446 Dated 11-08-2017** प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है जिसकी पुष्ठि पत्र से होती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के प्रस्तुत जवाब परिवाद के समस्त तथ्यों को

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक द्वारा आवेदन में दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है एवं उक्त समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड है, ऐसी स्थिति विपक्षी के प्रस्तुत जवाब परिवाद के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से हम संतुष्ट है, एवं प्रकरण की किसी प्रकार की अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 396/Act/2017/446 Dated 11-08-2017** का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार सब्स्टेण्डर्ड होना होना पाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample contained in a wide mouth plastic jar screwed with lid.
(ii) Physical appearance:- Creamish in color.
(iii) Label :-- Loose Sample of Mawa ki Burfi.
Opinion:- The sample Mawa ki burfi Bearing code no. and serial no. AM- 585 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40'c is does not meet the specified standards as prescribed in Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contained in a pet jar..
(ii) Physical appearance:- Fine grain size creamish in appearance.
(iii) Label :-- The sample of Bura sugar.
Opinion: The sample of Bura sugar (Loose) Bearing code no. and serial no. AM-851 of Designated o-ficer (Food Safety) Cum C.M.&H.0 of District Chittorgarh Is sub-standard as Extraneous matter & Sucrose are does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food Products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ शक्कर बुरा (**Loose**) का नमूना जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-851** लिया गया, उक्त पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड शक्कर बुरा (**Loose**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं विपक्षी प्रहलादराय मुरोठिया पुत्र शिवनारायण (विकेता/मालिक) मैसर्स राज किराणा स्टोर, माताजी की पाण्डोली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार, माताजी की पाण्डोली, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त प्रहलादराय मुरोठिया पुत्र शिवनारायण (विकेता/मालिक) मैसर्स राज किराणा स्टोर, माताजी की पाण्डोली तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार, माताजी की पाण्डोली, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ को 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **11.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:22 IST
Reason: SelfAttested